दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 2-05-2026

विषय सूची

अप्रैल माह में जीएसटी संग्रह बढ़कर ₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

राज्यों की राजकोषीय स्थिति

मतदान और मतगणना के बीच ईवीएम के सुरक्षित संरक्षण की प्रक्रिया

भारत का स्ट्रेस्ड एसेट समाधान ढांचा और राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL)

खाद्य प्रणालियों का जलविज्ञानीय वास्तविकताओं के अनुरूप पुनःसंतुलन

संक्षिप्त समाचार

तात्या टोपे

नागरिकता नियमों में संशोधन अधिसूचित

सिक्किम बना भारत का प्रथम पेपरलेस न्यायिक राज्य

क्यूराटेक को बेवासिज़ुमैब बायोसिमिलर हेतु नियामक स्वीकृति

केंद्र की नई ई-बस योजना

साइबॉर्ग बॉटनी

भारत में पवित्र उपवन

अप्रैल माह में जीएसटी संग्रह बढ़कर ₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

संदर्भ

- सरकार का वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व अप्रैल 2026 में ₹2.43 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो विगत वर्ष अप्रैल की तुलना में 8.7% अधिक है।

परिचय

- यह वृद्धि मुख्यतः आयात पर संग्रह से प्रेरित रही, जबकि घरेलू बिक्री से प्राप्त राजस्व अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ा।
- अप्रैल माह में संग्रह सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि उद्योग और कर प्रशासन दोनों ही वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रयास करते हैं।

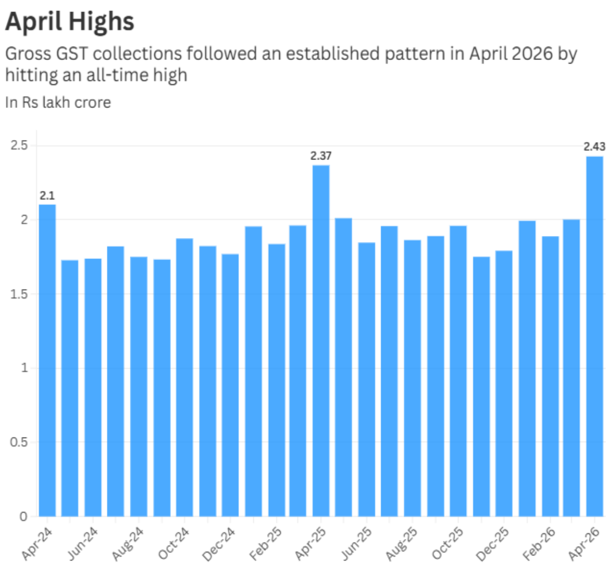

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जीएसटी को वर्ष 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया।
- यह उपभोग-आधारित कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है।
- इसे निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी चरणों में लगाया जाता है। केवल मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है।
    - यह उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त होता है जहाँ उपभोग होता है।

- **जीएसटी के प्रकार:**
    - **केंद्रीय जीएसटी (CGST):** केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
    - **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (SGST/ UTGST):** राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया जाता है।
    - **एकीकृत जीएसटी (IGST):** अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है।
        - केंद्र सरकार IGST का SGST/UTGST हिस्सा उस गंतव्य राज्य को हस्तांतरित करती है जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग हुआ।
- **कर की दरें:**
    - वस्तुओं और सेवाओं के लिए तीन स्लैब: 5%, 18% और 40%।
    - दैनिक आवश्यकताओं और विलासिता की वस्तुओं पर समान दर लागू न हो सके, इसलिए विभिन्न स्लैब बनाए गए।

- **जीएसटी परिषद:**
    - अनुच्छेद 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
    - इसमें संघ वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं।
    - परिषद के सदस्य लगभग सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं।
- **अपवादित वस्तुएँ:**
    - मानव उपभोग हेतु मदिरा तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पाद (केंद्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य): पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीज़ल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल।

जीएसटी 2.0 सुधार

- **सरल कर संरचना:** तीन-स्लैब जीएसटी व्यवस्था (5%, 18% और 40%) से जटिलता, वर्गीकरण विवाद और अनुपालन लागत में कमी आई।
- **एमएसएमई और स्टार्टअप सशक्तिकरण:** त्वरित रिफंड, सरल पंजीकरण और रिटर्न, तथा कम इनपुट लागत से वर्तमान व्यवसायों एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला तथा युवाओं को व्यवसाय व स्टार्टअप शुरू करने हेतु प्रेरित किया गया।
- **विस्तृत कर आधार और राजस्व स्थिरता:** सरल दरों और बेहतर अनुपालन से जीएसटी करदाताओं का आधार 1.5 करोड़ से अधिक हो गया, साथ ही सकल संग्रह भी बढ़ा, जिससे वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ हुई।

निष्कर्ष

- वर्ष 2025 के जीएसटी सुधार भारत की समावेशी आर्थिक वृद्धि और युवा सशक्तिकरण की यात्रा में एक परिवर्तनकारी अध्याय हैं।
- विभिन्न उद्योगों में दरों का युक्तिकरण कर सरकार ने न केवल जीवनयापन की लागत को कम किया है, बल्कि स्टार्टअप्स, एमएसएमई और रोजगार चाहने वालों के लिए नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं।
- सामूहिक रूप से, ये सुधार भारत की कर प्रणाली को सरल, न्यायसंगत और विकासोन्मुख बनाने की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करते हैं — यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्र के आर्थिक भविष्य के केंद्र में युवा नागरिक हों।

स्रोत: TH

राज्यों की राजकोषीय स्थिति

समाचार में

- वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में चेतावनी दी है कि उच्च राजस्व घाटे और भारी ऋण भार वाले कई भारतीय राज्य वित्तीय आघातों से निपटने में कठिनाई का सामना करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

- **राजस्व घाटा:** जब सरकार का नियमित व्यय (जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान) उसकी नियमित आय (करों और शुल्कों से) से अधिक होता है।
- **राजस्व अधिशेष**: इसका अर्थ है कि राज्य अपने राजस्व व्यय—वेतन, पेंशन, सब्सिडी—को अपनी आय से पूरा कर लेते हैं, जिससे दैनिक व्ययों के लिए उधारी पर निर्भरता कम होती है और राजकोषीय स्थिरता में सुधार होता है।

राजकोषीय तनाव

- यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ सरकार की आय और व्यय में लगातार या अस्थायी असंतुलन होता है, जिससे नीति-निर्माताओं को व्यय समायोजित करने, आय बढ़ाने या उधारी बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है।

राजकोषीय तनाव के कारण

- **संरचनात्मक कारक:** सीमित कर आधार, असमान जीएसटी संग्रह और अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता।
    - **बढ़ती सब्सिडी:** खाद्य, उर्वरक, ईंधन और कल्याणकारी प्रतिबद्धताएँ।
- **ऋण भार:** अधिक उधारी और ब्याज भुगतान विकास व्यय को सीमित करते हैं।
- **आर्थिक आघात:** महामारी-संबंधी व्यय, वैश्विक वस्तु मूल्य अस्थिरता और जलवायु-संबंधी आपदाएँ।
- **अनुपालन अंतराल:** कर चोरी, कमजोर प्रवर्तन और पूंजीगत व्यय में कम प्रदर्शन।

प्रभाव

- **बढ़ता ऋण भार:** राजकोषीय तनाव ऋण बढ़ाता है, ब्याज भार बढ़ाता है और विकास व्यय घटाता है, जिससे क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का जोखिम होता है।
- **घटा हुआ राजकोषीय स्थान:** सरकार की लचीलापन क्षमता घटती है और बुनियादी ढाँचे व सामाजिक क्षेत्रों में निवेश सीमित होता है।
- **सामूहिक आर्थिक अस्थिरता:** भारी सरकारी उधारी ब्याज दरें बढ़ाती है, जिससे निजी क्षेत्र का निवेश सीमित होता है।
- **कमज़ोर सामाजिक और विकास परिणाम:** स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर व्यय सीमित हो सकता है, जिससे क्षेत्रों में असमानता बढ़ सकती है।
- **अंतर-पीढ़ीगत भार :** अधिक उधारी का भुगतान भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित होता है, जिससे दीर्घकालिक ऋण स्थिरता का जोखिम बढ़ता है।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर आँकड़े

- **राजस्व अधिशेष बनाम राजस्व घाटा वाले राज्य**
    - **राजस्व अधिशेष राज्य:** झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना (अन्य के साथ)
        - ये राज्य अपनी नियमित व्यय आवश्यकताओं (वेतन, पेंशन, सब्सिडी) को स्वयं के राजस्व से पूरा करने में सक्षम हैं।
        - भारत के आठ राज्य—गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार और गोवा—ने अपना राजकोषीय घाटा सकल

State	Fiscal Deficit inclusive of SASCI loans (as % GSDP)	Outstanding Liabilities (% GSDP)	Revenue Balance (% GSDP)	Interest Payments (% Revenue Receipts)	Capital Outlay (% GSDP)@	Rev. Exp. to Capital Outlay (ratio)	Own Revenue Receipts (% Total RR)
Revenue Surplus States							
Odisha	3.50%	14.10%	3.00%	3.30%	6.50%	2.99	56.70%
Jharkhand	2.20%	25.80%	2.50%	4.80%	4.00%	4.87	49.00%
Uttar Pradesh	3.00%	23.10%	1.60%	9.50%	4.50%	3.74	49.60%
Goa	3.40%	29.30%	1.30%	9.70%	4.70%	3.61	70.70%
Gujarat	2.00%	14.70%	0.80%	12.20%	3.30%	2.30	71.40%
Uttarakhand	3.40%	28.5.%	0.59%	11.70%	4.24%	3.58	46.80%
Telangana	3.00%	28.70%	0.30%	8.80%	2.40%	4.96	76.20%
Bihar	3.00%	34.00%	0.10%	8.90%	3.00%	7.22	26.40%
Average	2.94%	24.24%	1.27%	8.61%	4.08%	4.16	55.85%
Near-Balanced States							
MP	3.90%	32.50%	0	10.90%	4.30%	3.91	46.00%
Revenue Deficit States							
Chhattisgarh	4.10%	21.40%	-0.30%	7.70%	3.80%	5.47	54.00%
Maharashtra	2.80%	20.40%	-0.70%	11.40%	1.80%	6.74	73.30%
Karnataka	2.90%	25.00%	-0.70%	16.90%	2.10%	4.70	74.90%
Haryana	2.70%	25.80%	-0.90%	20.00%	1.50%	7.32	79.00%
Rajasthan	3.70%	36.80%	-1.10%	13.40%	2.50%	6.49	58.70%
AP	3.80%	36.00%	-1.10%	15.90%	2.50%	5.26	58.60%
Kerala	3.40%	33.40%	-2.10%	18.80%	1.20%	11.18	63.00%
Punjab	4.10%	45.10%	-2.20%	22.80%	1.90%	8.06	68.60%
HP	3.50%	40.50%	-2.40%	18.00%	1.10%	15.19	47.70%
Average	3.44%	31.60%	-1.28%	16.10%	2.04%	8.31	64.20%

राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% या उससे कम पर बनाए रखा है।

- यह वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय अनुशासन के मानक के अनुरूप है।
    - 16वाँ वित्त आयोग (2026–31), जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनागरिया कर रहे हैं, ने भी राज्यों के लिए 3% राजकोषीय घाटे की सीमा की सिफारिश की है।
    - **राजस्व घाटा वाले राज्य:** पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
        - इन राज्यों को उच्च प्रतिबद्ध व्यय जैसे पेंशन और ब्याज भुगतान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **राज्यों का ऋण स्तर:** पंजाब सबसे अधिक ऋणग्रस्त है (GSDP का 45.1%)
    - इसके बाद हिमाचल प्रदेश (40.5%), राजस्थान और आंध्र प्रदेश (36%)
    - ओडिशा और गुजरात का ऋण अपेक्षाकृत कम है, जो उनकी सुदृढ़ राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।

परिणाम

- राजस्व अधिशेष वाले राज्य अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि कम ब्याज भुगतान से पूंजीगत व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं।
- राजस्व घाटे वाले राज्यों को अधिक कठिनाई होती है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में जाता है—अक्सर कुल राजस्व प्राप्तियों का 15% से अधिक—और उनके पास अधिक बकाया ऋण भी होता है।
- ऐसे राज्य जिनमें राजस्व घाटा और उच्च ऋण स्तर दोनों हैं, उनके पास आर्थिक या राजकोषीय आघातों का सामना करने की सीमित क्षमता होती है।
    - इन्हें प्रायः व्यय में कटौती या पुनर्गठन करना पड़ता है, या केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता माँगनी पड़ती है।
    - हालाँकि, इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि ऐसी माँगें उस समय आती हैं जब केंद्र स्वयं राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- उच्च राज्य-स्तरीय ऋण (कुछ मामलों में GSDP का लगभग 35–45%) भारत के कुल सार्वजनिक ऋण भार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- जो राज्य "शून्य राजस्व घाटा" के स्वर्ण नियम का पालन नहीं कर पाते, वे बढ़ते व्यय के दौर में राजकोषीय तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- दीर्घकालिक सामूहिक आर्थिक स्थिरता और प्रभावी आघात प्रबंधन के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।
- राजकोषीय समेकन के प्रयास केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने चाहिए।
- भारत का राजकोषीय तनाव कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन को दर्शाता है। जहाँ केंद्र ने विश्वसनीय समेकन मार्ग अपनाया है, वहीं राज्य वित्त अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं।
- सतत राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अनुशासन, पारदर्शिता और सुदृढ़ सहकारी संघवाद आवश्यक है।

स्रोत :TH.

मतदान और मतगणना के बीच ईवीएम के सुरक्षित संरक्षण की प्रक्रिया

संदर्भ

- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतगणना से कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें ईवीएम के भंडारण से संबंधित हेरफेर की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

ईवीएम के प्रबंधन की प्रक्रिया

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा ईवीएम के प्रबंधन की प्रक्रिया—मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के बाद—अपने *इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल, 2023* में निर्धारित की गई है।

- चुनाव से पहले, ईवीएम जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), जो कि जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, के नियंत्रण में गोदाम में सुरक्षित रखी जाती हैं।
- चुनाव शुरू होने पर, ईवीएम को राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यादृच्छिक किया जाता है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रॉन्गरूम में भेजा जाता है।
- संपूर्ण प्रक्रिया 24/7 सीसीटीवी निगरानी में होती है। इन्हीं स्ट्रॉन्गरूम से ईवीएम को मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है।
- मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने के बाद, ईवीएम को सील कर दिया जाता है और चुनाव अधिकारियों तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुनः स्ट्रॉन्गरूम में पहुँचाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) क्या है?

- यह एक उपकरण है जिसका उपयोग चुनावों में डाले गए मतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने और गिनने के लिए किया जाता है।
- ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग 1982 में केरल के पारावूर विधानसभा क्षेत्र में 123 में से 50 बूथों पर किया गया था।
- ईवीएम दो भागों से मिलकर बनी होती है—'कंट्रोल यूनिट' और 'बैलेटिंग यूनिट', जो 5-मीटर केबल से जुड़ी होती हैं।
- कंट्रोल यूनिट निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के पास रहती है और इसे ईवीएम का *मस्तिष्क* कहा जाता है।
- बैलेटिंग यूनिट मतदान कक्ष में होती है, जहाँ मतदाता गुप्त रूप से अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने बटन दबाकर वोट डालते हैं।
    - बैलेटिंग यूनिट तभी सक्रिय होती है जब मतदान अधिकारी उस पर 'बैलेट' बटन दबाते हैं।

मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

- जब मत डाला जाता है, तो ईवीएम की बैलेट यूनिट (BU) से जुड़ी वीवीपैट मशीन एक पर्ची छापती है जिसमें मतदाता की पसंद अंकित होती है।
    - यह पर्ची शीशे के पीछे सात सेकंड तक दिखाई देती है ताकि मतदाता सुनिश्चित कर सके कि उसका मत सही दर्ज हुआ है, इसके बाद यह नीचे स्थित बॉक्स में गिर जाती है।
- पर्ची में उम्मीदवार का नाम और पार्टी/स्वतंत्र प्रत्याशी का प्रतीक अंकित होता है।
- वीवीपैट मशीन का विचार 2010 में सामने आया, किंतु इसका प्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में हुआ।
    - 2013 में *निर्वाचन आचरण नियम, 1961* में संशोधन कर ईवीएम से प्रिंटर और ड्रॉप बॉक्स को जोड़ने की अनुमति दी गई।
- 2017 से सभी चुनावों में 100% वीवीपैट का प्रयोग शुरू हुआ और 2019 लोकसभा चुनाव पहला आम चुनाव बना जिसमें सभी ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी थीं।

ईवीएम का महत्व

- **गति:** ईवीएम पारंपरिक मतगणना की तुलना में तीव्रता से परिणाम देने में सक्षम हैं।
- **सटीकता:** इन्हें मतगणना में त्रुटियों को न्यूनतम करने और अमान्य/खराब मतपत्रों की घटनाओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **लागत-प्रभावशीलता:** समय के साथ, ईवीएम पारंपरिक कागज़-आधारित मतदान प्रणाली की तुलना में अधिक किफायती साबित होती हैं क्योंकि यह मतपत्रों की छपाई और भंडारण की आवश्यकता को कम करती हैं।

निष्कर्ष

- समग्र रूप से, भारत में वीवीपैट प्रणाली चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तथापि, इसकी प्रभावशीलता, लागत और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को लेकर आलोचना और समीक्षा जारी है।
- इन चिंताओं का समाधान विश्वसनीयता, सुलभता और जन-स्वीकृति को बेहतर बनाने के प्रयासों से ही संभव है।

स्रोत: IE

भारत का स्ट्रेस्ड एसेट समाधान ढांचा और राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL)

संदर्भ

- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारत की स्ट्रेस्ड एसेट समाधान रूपरेखा को सुदृढ़ करती है और वित्त वर्ष 2025–26 में वसूली की गति को तीव्र करती है।

भारत की स्ट्रेस्ड एसेट समाधान रूपरेखा का विकास

- **प्रारंभिक तंत्र:** ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs), 1993; सरफेसी अधिनियम, 2002; और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)।
  - हालाँकि, इन तंत्रों को विलंब, कम वसूली दर और समन्वय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- **संरचनात्मक सुधार:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016: इसने समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की; नियंत्रण को प्रवर्तकों से ले कर ऋणदाताओं को सौंपा; और वसूली दरों तथा ऋण अनुशासन में सुधार किया।
  - इसने 'ऋणदाता-नियंत्रण मॉडल' स्थापित किया और भारत के समाधान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) एवं बैंकिंग सुधार:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई समीक्षा ने एनपीए में पारदर्शिता बढ़ाई; और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से बैलेंस शीट सुदृढ़ हुई।
- **'बैड बैंक' मॉडल की आवश्यकता:** IBC की सफलता के बावजूद बड़े और जटिल एनपीए अनसुलझे रहे, अनेक ऋणदाताओं के कारण समन्वय विफलताएँ हुईं; तथा ARCs को पूंजीगत सीमाओं का सामना करना पड़ा।
  - इससे केंद्रीकृत 'बैड बैंक' संरचना का निर्माण हुआ।
  - बैड बैंक स्ट्रेस्ड एसेट को एकत्रित कर पेशेवर समाधान सक्षम बनाते हैं और मूल्य खोज में सुधार करते हैं।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)

- **संस्थागत संरचना:** सरकार समर्थित ARC ('बैड बैंक'), जो इंडिया डेब्ट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के साथ मिलकर बड़े मूल्य वाले स्ट्रेस्ड एसेट पर केंद्रित है।
- **मुख्य कार्य:** बैंकों से स्ट्रेस्ड एसेट का अधिग्रहण; विभिन्न ऋणदाताओं के जोखिमों का एकत्रीकरण; और IBC प्रक्रिया, बाज़ार आधारित बिक्री तथा पुनर्गठन तंत्रों के माध्यम से समाधान।

समाधान पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका

- **बैलेंस शीट शुद्धिकरण:** बैंकों की पुरानी एनपीए को हटाकर उनकी ऋण क्षमता बढ़ाता है।
- **मूल्य अधिकतमकरण:** परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाता है और पेशेवर प्रबंधन वसूली परिणामों को बेहतर करता है।
- **IBC का पूरक:** IBC एक कानूनी समाधान ढांचा है; जबकि NARCL एक संस्थागत क्रियान्वयन तंत्र है।
  - NARCL बहु-ऋणदाता प्रणाली में निहित समन्वय विफलताओं और विलंब को कम करता है।

प्रदर्शन और उभरती प्रवृति

- हाल के वर्षों में NARCL ने वसूली की गति को तीव्र किया है, बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित करने से प्रणालीगत दक्षता में सुधार हुआ है।
- यह स्ट्रेस्ड एसेट के लिए द्वितीयक बाज़ार के विकास में सहायक है।

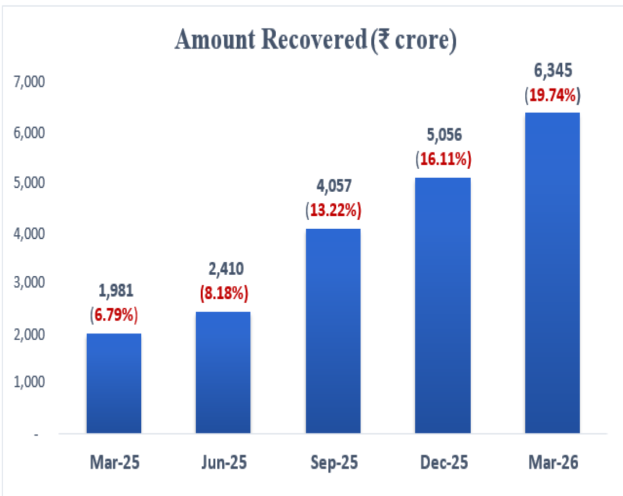

- लक्ष्य अधिग्रहण: ₹2 लाख करोड़ स्ट्रेस्ड एसेट; बड़े मूल्य वाले समाधान पर निरंतर ध्यान; और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के द्वितीयक बाज़ार को सुदृढ़ करना।
- NARCL वित्तीय क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने, भारत के ऋण वृद्धि चक्र को समर्थन देने और पूंजी के कुशल आवंटन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है।

बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने में भूमिका

- **बैलेंस शीट शुद्धिकरण:** NARCL बैंकों को पुरानी एनपीए हस्तांतरित करने, परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधारने और नए ऋण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।
    - यह RBI के पूंजी पर्याप्तता और ऋण प्रवाह पर बल के अनुरूप है।
- **पूंजी पुनर्चक्रण:** स्ट्रेस्ड एसेट की वसूली से अवरुद्ध पूंजी मुक्त होती है और उत्पादक क्षेत्रों में ऋण विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।
- **सुधारित वसूली पारिस्थितिकी तंत्र:** IBC, DRTs और सरफेसी अधिनियम के साथ मिलकर कार्य करता है; और बहु-ऋणदाता प्रणाली में विलंब और समन्वय समस्याओं को कम करता है।

रूपरेखा में चुनौतियाँ

- **कानूनी और प्रक्रियात्मक विलंब:** IBC की समयसीमा प्रायः मुकदमों के कारण टूट जाती है।
- **मूल्यांकन समस्याएँ:** संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण कठिन होता है।
- **नैतिक जोखिम:** बैंक अत्यधिक रूप से NARCL को हस्तांतरण पर निर्भर हो सकते हैं।
- **क्षमता सीमाएँ:** संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गहरे बाज़ार और निवेशकों की आवश्यकता है।

आगे की राह

- IBC अवसंरचना और न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करना
- स्ट्रेस्ड एसेट के लिए द्वितीयक बाज़ार की तरलता में सुधार
- परिसंपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाना
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- समाधान में प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का एकीकरण

स्रोत: PIB

खाद्य प्रणालियों का जलविज्ञानीय वास्तविकताओं के अनुरूप पुनःसंतुलन

संदर्भ

- विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट *"पोषण और समृद्धि: एक रहने योग्य ग्रह पर 10 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जल समाधान"* में यह संरचनात्मक चिंता व्यक्त की है कि वैश्विक खाद्य प्रणाली मूलतः जलविज्ञानीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व बैंक का अनुमान है कि यदि अक्षमताएँ बनी रहती हैं तो वर्तमान कृषि जल प्रणालियाँ वर्ष 2050 तक केवल वैश्विक जनसंख्या के लगभग एक-तिहाई हिस्से के लिए ही खाद्य उत्पादन को सतत रूप से समर्थन दे पाएंगी।
    - संकट का मूल कारण जल की पूर्ण कमी नहीं बल्कि कुप्रबंधन है।
- भारत एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है—यह जल-संकटग्रस्त देश होते हुए भी जल-प्रधान फसलों का निर्यात करता है, जिससे "आभासी जल" का निर्यात होता है।
- पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में भूजल का क्षरण प्रति वर्ष एक मीटर से अधिक की दर से हो रहा है।

ऊर्जा–जल–खाद्य संबंध

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी 2026 योजना *तेल के आघातों से बचाव"* में बल दिया है कि ऊर्जा व्यवधान शीघ्र ही खाद्य और जल संकट में परिवर्तित हो सकते हैं।
    - भारत लगभग 85–90% कच्चे तेल का आयात करता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा आघातों के प्रति संवेदनशील है।
- भूजल सिंचाई ऊर्जा-प्रधान प्रक्रिया है, जो बिजली और डीज़ल पर निर्भर करती है।

    - ईंधन की बढ़ती कीमतें सिंचाई, परिवहन और खाद्य वितरण की लागत को बढ़ा देती हैं।
- इस प्रकार, जल उपयोग की अक्षमताएँ सीधे ऊर्जा मांग को बढ़ाती हैं, जबकि ऊर्जा आगाहत खाद्य असुरक्षा और मुद्रास्फीति को और गंभीर बनाते हैं।

भारत में संकट के कारक

- **विकृत प्रोत्साहन संरचना:** सिंचाई हेतु मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली भूजल दोहन की सीमांत लागत को लगभग शून्य कर देती है, जिससे अस्थिर और अत्यधिक पंपिंग होती है।
- **फसल पैटर्न असंतुलन:** नीतिगत समर्थन तंत्र जल-प्रधान फसलों जैसे धान और गन्ने की खेती को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करता है जो पारिस्थितिक दृष्टि से अनुपयुक्त हैं।
- **खंडित नीतिगत ढाँचा:** जल, ऊर्जा और कृषि अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे नीतिगत असंगति एवं अक्षमता उत्पन्न होती है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
    - अनियमित मानसून, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कृषि चक्रों को बाधित कर रही है।
    - जब जलवायु दबाव ऊर्जा झटकों के साथ जुड़ता है तो खाद्य सुरक्षा के लिए संयुक्त जोखिम उत्पन्न होते हैं।

सतत प्रबंधन हेतु सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय जल मिशन:** जल संरक्षण, अपव्यय न्यूनतम करने और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** सिंचाई कवरेज बढ़ाने और "प्रति बूंद अधिक फसल" सिद्धांत के माध्यम से जल उपयोग दक्षता सुधारने का लक्ष्य।
- **सूक्ष्म सिंचाई कोष:** राज्यों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विस्तार हेतु वित्तीय सहयोग।
- **अटल भूजल योजना:** जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व वाली भूजल प्रबंधन योजना, जो व्यवहार परिवर्तन और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से सतत उपयोग को बढ़ावा देती है।
- **पीएम-कुसुम योजना:** सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों को प्रोत्साहित करती है, डीज़ल पर निर्भरता घटाती है और किसानों की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है।

आगे की राह

- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल-प्रधान फसलों से हटकर फसल विविधीकरण को लक्षित प्रोत्साहन और खरीद समर्थन के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सटीक सिंचाई तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना ताकि कृषि में जल उपयोग दक्षता सुधरे।
- पीएम-कुसुम जैसी सरकारी योजनाओं को जल लेखांकन तंत्र और स्मार्ट उपयोग नियंत्रण जैसे सुरक्षा उपायों के साथ एकीकृत करना ताकि कम या शून्य सीमांत ऊर्जा लागत से उत्पन्न अति-उपयोग रोका जा सके।
- मंत्रालयों के बीच संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करना, साथ ही एकीकृत डेटा प्रणाली और नियोजन प्रक्रियाओं को लागू करना, दीर्घकालिक स्थिरता एवं प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

तात्या टोपे

संदर्भ

- 1857 से संबंधित तात्या टोपे का एक दुर्लभ हस्तलिखित और हस्ताक्षरित पत्र मध्य प्रदेश के अभिलेखागार में खोजा गया है।

तात्या टोपे के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:** तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। उनका जन्म 1814 में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ।

- उनके पिता बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा, के दरबार में एक कुलीन पद पर कार्यरत थे।
- उनका नाना साहेब (बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र) से घनिष्ठ संबंध था, जिसने बाद में उनके विद्रोह में भूमिका को आकार दिया।

- **1857 के विद्रोह में भूमिका:** वे 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे सक्षम सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में उभरे।
  - उन्होंने कानपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख प्रतिरोध केंद्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश सेनाओं के विरुद्ध विद्रोह को बनाए रखा।
- **सैन्य रणनीति:** वे गुरिल्ला युद्ध, तीव्र गतिशीलता और आकस्मिक हमलों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे।
  - अंततः उन्हें ब्रिटिशों ने पकड़ लिया और 1859 में शिवपुरी में औपचारिक मुकदमे के बाद फाँसी दी गई।

स्रोत: TOI

नागरिकता नियमों में संशोधन अधिसूचित

संदर्भ

- भारत सरकार ने *नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026* अधिसूचित किए हैं, जिनमें प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदन से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल हैं।

परिचय

- गृह मंत्रालय ने *नागरिकता नियम, 2009* में संशोधन किए हैं।
- इसमें OCI कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों की विभिन्न प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन लाया गया है।

प्रावधान

- कोई भी अल्पवयस्क बच्चा भारतीय पासपोर्ट रखते हुए किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता।
- OCI कार्ड पंजीकरण और त्याग के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएँगे।
- OCI स्थिति त्यागने की घोषणा पर, व्यक्तियों को मूल भौतिक कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी को सौंपना होगा।
- सरकार ने दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की पूर्व आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और *इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI)* की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अब भौतिक OCI कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण जारी किया जा सकता है।
- OCI आवेदकों को अब *फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम* में शामिल होने के लिए एक नया सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें पंजीकरण के दौरान उनके बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति होगी।

OCI योजना

- OCI योजना *नागरिकता अधिनियम, 1955* में 2005 के संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी।
- यह योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनुमति देती है, बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों या उस तिथि को नागरिक बनने के पात्र रहे हों।
- हालाँकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे व्यक्ति या जिनके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-पड़दादी नागरिक रहे हों, वे पात्र नहीं हैं।

स्रोत: AIR

सिक्किम बना भारत का प्रथम पेपरलेस न्यायिक राज्य

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत ने सिक्किम को भारत का प्रथम पेपरलेस न्यायिक राज्य घोषित किया।

परिचय

- यह न्याय प्रणाली को तेज़, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन से दक्षता और न्याय तक पहुँच में सुधार होगा, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में।
- यह *विकसित भारत 2047* की दृष्टि के अनुरूप है।

भारत में उच्च न्यायालय

- भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
- वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों पर है।
- दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अपने उच्च न्यायालय हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 (भाग VI) में इनके संगठन, शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है।

स्रोत: AIR

क्यूराटेक को बेवासिज़ुमैब बायोसिमिलर हेतु नियामक स्वीकृति

संदर्भ

- ऑरोबिंदो फार्मा की सहायक कंपनी *क्यूराटेक बायोलॉजिक्स* को हेल्थ कनाडा से अपने बेवासिज़ुमैब बायोसिमिलर *बेवकोल्वा* के लिए *नोटिस ऑफ कंप्लायंस (NOC)* प्राप्त हुआ है।

नोटिस ऑफ कंप्लायंस (NOC) क्या है?

- NOC एक औपचारिक नियामक स्वीकृति है, जो किसी दवा की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के बाद दी जाती है।
- NOC जारी होने पर फार्मास्यूटिकल कंपनी को संबंधित क्षेत्राधिकार में दवा का कानूनी विपणन और वितरण करने की अनुमति मिलती है।
- यह उन्नत फार्मास्यूटिकल बाज़ारों में अपनाए गए कठोर नियामक मानकों के अनुपालन को दर्शाता है।

बायोसिमिलर क्या हैं?

- बायोसिमिलर ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो पहले से स्वीकृत संदर्भ जैविक दवा के अत्यधिक समान होते हैं, सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के संदर्भ में।
- ये पूरी तरह नई दवाएँ नहीं होतीं, बल्कि पहले से स्थापित जैविक दवाओं के समकक्ष संस्करण होते हैं, जिनका वर्षों से विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जा रहा है।
- बायोसिमिलर जटिल जैविक उत्पाद होते हैं, जिन्हें संदर्भ जैविक दवाओं की तरह ही जीवित कोशिका प्रणालियों का उपयोग करके विकसित किया जाता है।
- इनका संरचना और कार्य में निकट समानता सुनिश्चित की जाती है, हालाँकि इन्हें सामान्य जेनेरिक दवाओं की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना पड़ता है।

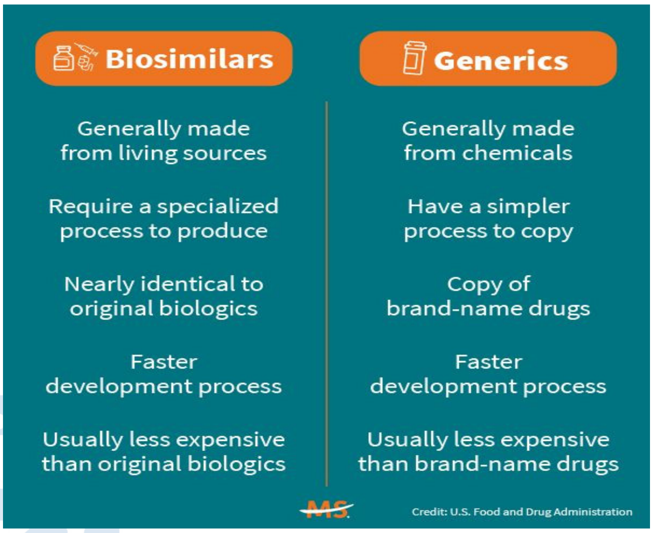

स्रोत: ET

केंद्र की नई ई-बस योजना

संदर्भ

- केंद्र सरकार, पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम के अंतर्गत 14,000 बसों की निविदा और आवंटन पूर्ण करने के बाद राज्यों के लिए एक नई इलेक्ट्रिक बस योजना लागू कर सकती है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में

- यह योजना वर्ष 2024 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी।
- योजना की अवधि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
- ईएमपीएस-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम) को भी पीएम ई-ड्राइव योजना में सम्मिलित किया गया है।

योजना के घटक

- **सब्सिडी:** ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक तथा अन्य उभरती ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन।
- **पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान:** ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क की स्थापना एवं एमएचआई की परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन।
- **प्रशासनिक प्रावधान:** सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) का शुल्क।
- **समर्थन हेतु पात्र वाहन श्रेणियाँ:**
  - बसें (केवल इलेक्ट्रिक बसें)
  - तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा, ई-कार्ट एवं L5 ई-3W)
  - दो पहिया वाहन (ई-2W)
  - ई-एम्बुलेंस (इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड एवं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
  - ई-ट्रक एवं अन्य नई ईवी श्रेणियाँ (अगले चरण में अधिसूचित होंगी)
- **चार्जिंग स्टेशन :**
  - यह योजना ईवी खरीदारों की "रेंज चिंता" को दूर करने हेतु सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करती है।

साइबॉर्ग बॉटनी

संदर्भ

- वैज्ञानिकों ने साइबॉर्ग बॉटनी के क्षेत्र में प्रगति की है, जिससे पौधे अपनी आंतरिक स्वास्थ्य स्थिति को वास्तविक समय में संप्रेषित कर सकते हैं।

साइबॉर्ग बॉटनी के बारे में

- यह एक उभरता हुआ अंतर्विषयक क्षेत्र है जो जीवित पौधों को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एकीकृत करता है।
- "साइबॉर्ग" शब्द का अर्थ है साइबरनेटिक जीव, जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं और कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्षमता के संलयन को दर्शाता है।
- उद्देश्य है पौधों को जीवित सर्किट बोर्ड में परिवर्तित करना, जो जानकारी का संवेदन, प्रसंस्करण और संचार कर सकें।

कार्य प्रणाली

- **नैनोवायर और ट्रांजिस्टर का समावेश:** इन्हें पौधों की कोशिका भित्तियों में स्थापित किया जाता है, जहाँ वे बायोसेंसर के रूप में कार्य करते हैं।

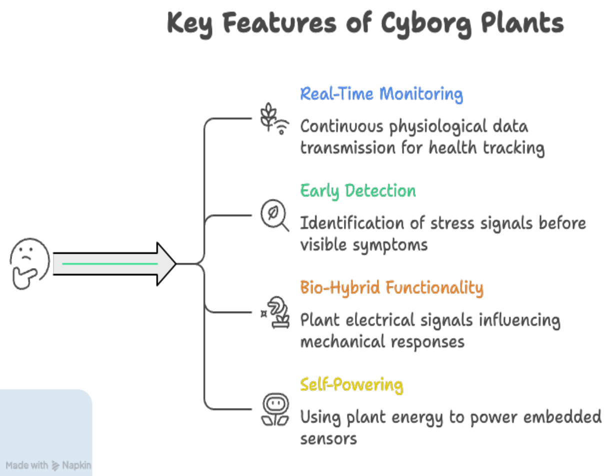

- **संचालक पॉलिमर:** जैसे PEDOT, जो पौधों की आंतरिक वायरिंग के रूप में कार्य कर संकेतों को बाहरी उपकरणों तक पहुँचाते हैं।
- **संकेत रूपांतरण:** प्रकाश, आर्द्रता , पोषक तत्व और कीटों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं को डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जाता है।

भारत में पवित्र उपवन

संदर्भ

- केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पवित्र उपवनों के पुनर्स्थापन हेतु एक पायलट कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

पवित्र उपवनों के बारे में

- ये वन या प्राकृतिक वनस्पति के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक प्रथाओं के कारण संरक्षित करते हैं।
- ये सामुदायिक संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो मंदिरों, अनुष्ठानों और आदिवासी परंपराओं से जुड़े रहते हैं।

- **भारत में अनुमानत:** 1,00,000 से 1,50,000 पवित्र उपवन हैं।

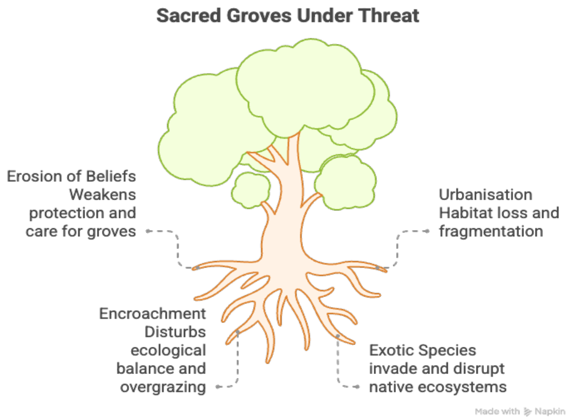

- उपयुक्त उपवनों को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है।

महत्त्व

- पवित्र उपवन जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ दुर्लभ, स्थानिक और औषधीय पौधों का संरक्षण होता है।
- ये मृदा संरक्षण में योगदान देते हैं और विशेषकर पश्चिमी घाट एवं हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में अपरदन को रोकते हैं।
- सांस्कृतिक दृष्टि से ये अनुष्ठानों, उत्सवों और सामुदायिक पहचान के केंद्र होते हैं, जहाँ विश्वास प्रणाली के माध्यम से संरक्षण को सुदृढ़ किया जाता है।

■■■■